# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर ( आर0ए0एस0 )

मिसल न0– 22./2021

अनवान :–

1. कौशल्या देवी पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुमित्रादेवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर

सायलान

बनाम

1. मदनलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रिछपाल सिह पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री माडुराम राहारण अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 24/01/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 747/239 की कुल 0.8980हैक्ट भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

गैरसायलान की रोही मौजा चक 3 बारानी की कुल 1.2930हैक्ट भूमि बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि खाता संख्या 510/422 के प0न0 223/358(235) के किला न0 21 के दक्षिणी की तरफ से आते जाते है यही सबसे सुविधाजनक रास्ता है।

सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल के खाता संख्या 510/422 के प0न0 223/358(235) के किला न0 21 के दक्षिणी की तरफ के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही सुविधाजनक रास्ता है।

सायलान ने गैरसायलान को खाता संख्या 510/422 के प0न0 223/358(235) के किला न0 21 के दक्षिणी की तरफ रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 510/422 के प0न0 223/358(235) के किला न0 21 में दक्षिण की तरफ मन्जुर शुद्वा रास्ता के पश्चिम से पूर्व एक गठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जवाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..1

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के खेत पडोसी है सायलान अपने खेत मे जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायलान के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैररायल की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायलान एवं गैरसायल 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 510/422 के प०न० 323/358(235) के किला न0 21 में दक्षिणि तरफ मंजूरशुद्वा रास्ता से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान को खाता संख्या 747/239 के प०न० 323/358(235) के किला न0 22 में पश्चिम हिस्सा में एक गठठा भूमि देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )



Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 251(M)/41 दिनांक 24/01/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 41 सन 2021 निर्णय दिनांक 24/01/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. कौशल्या देवी पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुमित्रादेवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र गाडूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. रिछपाल सिह पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 510 / 422 के प0न0 323 / 358(235) के किला न0 21 में दक्षिणि तरफ मंजूरशुद्वा रास्ता से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान को खाता संख्या 747 / 239 के प0न0 323 / 358(235) के किला न0 22 में पश्चिम हिस्सा में एक गठठा भूमि देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर



Scanned with CamScanner